दिनाक 05.01.2021
प्रेस विज्ञप्ति–05/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा विस्तृत अपराधिक इतिहास वाले सकिय अपराधियों के विरूद्ध कार्य योजना बनाकर और प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में दिये दिशा निर्देश

श्री एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को विस्तृत अपराधिक इतिहास वाले अराजकतत्वों संगठित/सक्रिय अपराधियों, समाज विरोधी क्रिया क्लापो में संलिप्त व्यक्तियों पर नियन्त्रण रखने और उनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु मुख्यालय स्तर से समय–समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुये कार्य योजना बनाकर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये :–

- प्रत्येक थाना स्तर पर विस्तृत अपराधिक इतिहास वाले अपराधियों का अपराधिक ब्यौरा तैयार किया जाये। इसमें थाना क्षेत्र के अतिरिक्त बाह्य पंजीकृत हुये अभियोगों को भी सम्मलित किया जाय।
- विस्तृत अपराध वाले अपराधियों के तैयार अपराधिक इतिहास का गहराई से परीक्षण कर अन्य श्रोतो से यह जानकारी भी की जाये कि इसमें कौन–कौन अपराधी सक्रिय है। अपराधी गतिवधियों में लगातार संलिप्त व सक्रिय अपराधियों की सूची/रजिस्टर बनाया जाये।

- स्थानीय थाने के अतिरिक्त सीमावर्ती थानो/जनपदो से भी अपराधी के सक्रियता के बारे में जानकारी की जाये।
- अपराधी जिन जनपदो में अधिक आता जाता हो अथवा कोई रोजगार एवं नौकरी करता हो तथा वहॉ अपराधी कृत्यो में लिप्त हो आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाये।
- विस्तृत अपराधिक इतिहास के आधार पर सक्रिय अपराधियों की सूची तैयार कर उन्हें पुलिस रेग्युलेशन में वर्णित विहित रीति के अनुसार सघन जानकारी की जाये।
- सक्रिय अपराधियों के विरूद्ध विधि सम्मत रूप से गुण्डा, गैंगेस्टर, एन0एस0ए0 की कार्यवाही एवं हिस्ट्रीशीट खुलवाये जाने, गैंग पंजीकरण व अन्य अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये नियमानुसार शस्त्र लाइसेन्स व जमानत निरस्तीकरण आदि की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये।
- अधिकारिता क्षेत्र से बाहर के अपराधियों के सम्बन्ध में उनके मूल निवास के थाना/जनपद से भी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाये। अन्तर्राष्ट्रीय व अन्तर्राज्यीय दुर्दान्त सक्रिय अपराधियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही आदि के सम्बन्ध में सम्बन्धित इकाईयों/विभागों से वॉछित सहयोग लिया जाये।

जनपद बुलन्दशहर /थाना कोतवालीनगर

- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लूट गया (शतप्रतिशत) 1850 किलोग्राम तॉबा व पीतल का सामान/पार्टस आदि**
- **लूटा गया नलकूप विभाग का ट्रक**
- **01 कैन्टर,**
- **02 अवैध तमंचा, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 04/05.01.2021 की रात्रि थाना कोतवाली नगर एवं क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान शिकारपुर की तरफ से आ रहे वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में 05 अभियुक्तों 1–सुरेश कुमार 2–युसूफ 3–गड्डू उर्फ शब्बीर 4–मुशर्रफ 5–निसार अहमद को गिरफ्तार किया गया। मौके से अन्य बदमाश फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर लूट का (शतप्रतिशत) कुल 1850 किलोग्राम तॉबा व पीतल का सामान/पार्टस–जीएम पार्टस, पीवीसी कॉपर वायर, व पीवीसी ब्रन्ट कॉपर वायर आदि, लूटा गया नलकूप विभाग का ट्रक, 01 कैन्टर गाड़ी, 02 अवैध तमंचे, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनॉकः 24/25.12.2020 की रात्रि में थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत स्थित नलकूप कालोनी में केन्द्रीय भण्डार एवं कार्यशाला के सरकारी गोदाम में डकैती की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0–1614/2020 धारा 395 भादवि का अभियोग पंजीकृत है। बरामद शतप्रतिशत माल उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस संबंध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—सुरेश कुमार निवासी मोहल्ला गोसाई गोटिया जोगी नवादा थाना बारादरी जनपद बरेली।

2—युसूफ निवासी चकसकलेन थाना बारादरी जनपद बरेली।

3—गड्डू उर्फ शब्बीर निवासी बाकरगंज थाना किला जनपद बरेली।

4—मुशर्रफ निवासी हुसैनगंज थाना खजुरिया जनपद रामपुर।

5—निसार अहमद निवासी मुस्तफानगर माल गोदाम रोड़ थाना सुभाषनगर जनपद बरेली।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट का (शतप्रतिशत) कुल 1850 किलोग्राम तॉबा व पीतल का सामान/पाटर्स—जीएम पाटर्स, पीवीसी कॉपर वायर, व पीवीसी ब्रन्ट कॉपर वायर आदि,

2—लूटा गया नलकूप विभाग का ट्रक।

3— 01 कैन्टर गाड़ी,

4—02 अवैध तमंचे, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस

<u>जनपद गाजियाबाद/थाना मुरादनगर</u>

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 05.01.2021 को थाना मुरादनगर व थाना नेवाड़ी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सटेडी नहर पुल मुजफ्फरनगर से मुरादनगर जनपद गाजियाबाद क्षत्रे में हुई दुःखद घटना में वॉछित पुरस्कार घोषित अपराधी अजय त्यागी को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मुरादनगर क्षेत्रान्तर्गत हुई दुःखद घटना के सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0—06/2021 धारा 304/337/338/409/427 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त :—</u>

अजय त्यागी निवासी मोरटा थाना मधुवन बापूधाम वर्तमान पता—सेक्टर—7 डी/52 राजनगर थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद।

<u>जनपद मथुरा/थाना वृन्दावन</u>

- **02 अपराधी गिरफ्तार,**
- **लूटा गया (शतप्रतिशत) लगभग 08 लाख रूपये कीमत के सोने व चॉदी के आभूषण,**
- **चॉदी के 10 सिक्के,**
- **31 हजार 630 रूपये नगद,**
- **पासपोर्ट आदि बरामद**

दिनांक 04—01—2021 को थाना वृन्दावन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान रूकमणी बिहार से 02 अभियुक्तों 1—धर्मेन्द्र उर्फ डेविड 2—लोकेन्द्र को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटा गया (शतप्रतिशत) लगभग 08 लाख रूपये कीमत के सोने चॉदी के आभूषण, चॉदी के 10 सिक्के, 31 हजार 630 रूपये नगद, पासपोर्ट आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा दिनॉकः02.01.2021 को थाना वृन्दावन क्षेत्रान्तर्गत लूटपाट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना वृन्दावन पर मु0अ0सं0—03/2021 धारा 394 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। थाना वृन्दावन पुलिस द्वारा उक्त घटना का 48 घण्टे के अन्दर अनावरण करते हुये लूट का शतप्रतिशत माल बरामद किया गया।

इस सम्बन्ध में थाना वृन्दावन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :–

1–धर्मेन्द्र उर्फ डेविड निवासी भितरवार थाना भितरवार जनपद ग्वालियर ,मध्य प्रदेश हाल निवासी शिवाजीनगर थाना नबाबाद जनपद झॉसी।

2–लोकेन्द्र निवासी भितरवार थाना भितरवार जनपद ग्वालियर ,मध्य प्रदेश हाल निवासी शिवाजीनगर थाना नबाबाद जनपद झॉसी।

बरामदगीः–

1–लूटा गया (शतप्रतिशत) लगभग 08 लाख रूपये कीमत के सोने चॉदी के आभूषण

2–चॉदी के 10 सिक्के,

3–31 हजार 630 रूपये नगद,

4–पासपोर्ट आदि ।

जनपद इटावा/थाना फ्रेण्ड्स कालोनी

- **05 शातिर अपराधी गिरफ्तार,**
- **चोरी के 07 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 04/05.01.2021 को थाना फ्रेण्ड्स कालोनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान दतावली नहर पुल से 05 अभियुक्तों 1–सुनील 2–अजय कुमार उर्फ छोटू 3–पंकज 4– करन 5–हिमांशू उर्फ ईशू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर 07 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना इटावा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सुनील निवासी कामेत थाना बढपुरा जनपद इटावा।

2–अजय कुमार उर्फ छोटू निवासी ग्राम भतौरा थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा।

3–पंकज निवासी कुमैरा थाना पछायगांव जनपद इटावा।

4– करन निवासी कामेत थाना बढपुरा जनपद इटावा।

5–हिमांशू उर्फ ईशू निवासी बनकटी बुजुर्ग थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा।

<u>बरामदगीः–</u>

1–07 दो पहिया वाहन।

2–01 मास्टर चाबी।

<u>जनपद आगरा/थाना जगनेर</u>

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 04.01.2021 को थाना जगनेर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आगरा पुरानी पेट्रोल पम्प के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी रिंकू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना जगनेर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–157/2020 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जगनेर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त :–</u>

रिंकू निवासी बसेड़ी थाना जगनेर जनपद आगरा।

जनपद मेरठ/थाना गंगानगर

• भारतीय नकली मुद्रा बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश

• 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

• 05 लाख 42 हजार 400 रूपये के जाली नोट व 97 हजार 500 रूपये के अर्द्धनिर्मित जाली नोट व नकली मुद्रा छापने का प्रिन्टर सहित अन्य सामाग्री बरामद

दिनॉक 05.01.2021 को थाना गंगानगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सीएनजी पम्प व सुभाषनगर से भारतीय नकली मुद्रा बनाने वाले 04 अभियुक्तो 1–रोबिन उर्फ मुकेश 2–सिकन्दर उर्फ सतेन्द्र 3–सुमन 4–माही को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादही पर 05 लाख 42 हजार 400 रूपये के जाली नोट व 97 हजार 500 रूपये के अर्द्धनिर्मित जाली नोट (2000 रूपये, 500 रूपये व 200 रूपये के निर्मित/अर्द्धनिर्मिल जाली नोट), नकली मुद्रा छापने का प्रिन्टर सहित अन्य सामाग्री बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना गंगानगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रोबिन उर्फ मुकेश निवासी सिवाया थाना दौराला जनपद मेरठ।

2–सिकन्दर उर्फ सतेन्द्र निवासी मोहल्ला आर्यनगर पिलखुआ जनपद हापुड़।

3–सुमन पत्नी स्व0 सुभाष निवासी ग्राम सिखैड़ा थाना इचौली जनपद मेरठ।

4–माही पुत्री स्व0 सुभाष निवासी ग्राम सिखैड़ा थाना इचौली जनपद मेरठ।

बरामदगी–:

1– 05 लाख 42 हजार 400 रूपये के जाली नोट,

2– 97 हजार 500 रूपये के अर्द्धनिर्मित जाली नोट,

3–नकली मुद्रा छापने का प्रिन्टर सहित अन्य सामाग्री।

एसटीएफः फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर विगत 37 वर्षो से अध्यापक की नौकरी करने वाला फर्जी शिक्षक जनपद-लखीमपुर खीरी से गिरफ्तार।

दिनॉकः 05–01–2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर विगत 37 वर्षों से अध्यापक की नौकरी करने वाले फर्जी शिक्षक को जनपद लखीमपुर खीरी से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

पतिराम सिंह पुत्र स्व0 नारायण सिंह नि0 परसेहरी कला, थाना फूलबेहड़, जनपद लखीमपुर खीरी।

बरामदगीः

1– 4200 रूपये नगद।

2– 02 अदद मोबाइल फोन।

विगत कुछ समय से बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 में फर्जी अध्यापको के नियुक्ति की सूचना एस0टी0एफ मुख्यालय उत्तर प्रदेश को सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न टीमों एवं इकाईयों को अभिसूचना संकलन कर कार्यवाही हेतु निर्देषित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री अमित कुमार नागर, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन किया जा रहा था।

अभिसूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि पतिराम सिंह पुत्र स्व0 नारायण सिंह उपरोक्त जो फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर प्रधानाध्यापक के पद पर प्राथमिक विद्यालय, खखरा मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी में नियुक्त था, जिसके विरूद्ध लगभग 06 माह पूर्व सेवानिवृत्ति के दिन ही मु0अ0सं0 258/2020 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना फरधान, लखीमपुर खीरी पर अभियोग पंजीकृत कराकर बर्खास्त कर दिया गया था। जैसा कि एसटीएफ उ0प्र0 द्वारा विगत काफी दिनों से बड़े पैमाने पर फर्जी शिक्षकों की जांच कराकर बर्खास्तगी की कार्यवाही की जा रही है। वांछित अभियुक्त पतिराम सिंह पुत्र स्व0 नारायण सिंह उपरोक्त विगत 06 माह से फरार चल रहा था जिसके विरूद्ध मा0 न्यायालय द्वारा वारण्ट जारी किया जा चुका था। अभियुक्त उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु स्थानीय पुलिस द्वारा एसटीएफ उ0प्र0 से सहयोग मांगा गया। जिस पर एसटीएफ की टीम द्वारा भौतिक सूचनाएं एकत्र की गयी जिसमें पता चला कि पतिराम द्वारा अपने विरूद्ध जांच गठित होने पर जांच को धोखा देने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद, का अपनी अंकतालिका से सम्बन्धित फर्जी सत्यापन तैयार कराकर जांचकर्ता अधिकारी को धोखा देने के उद्देष्य से भेजा गया था। जिसमें कुछ अन्य लोग इसके सम्पर्क में आये थे। इन्हीं लोगों पर सर्विलांस की मदद से कार्य करने पर पतिराम के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। जिसके क्रम में आज दिनांक 05–01–2021 को उ0नि0 श्री मनोज कुमार पाण्डेय एसटीएफ, उ0प्र0 ने अपनी टीम के माध्यम से विकसित की गयी सूचना के आधार पर

एल0आर0पी0 चौराहा, लखीमपुर खीरी से वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ पर फर्जी प्रधानाध्यापक/वांछित अभियुक्त पतिराम उपरोक्त ने बताया कि वह उसके पिता जी मूलरूप से जनपद गाजीपुर के निवासी थे, पिता जी द्वारा ही जनपद आजमगढ़ निवासी नखड़ू यादव नाम के षिक्षक के माध्यम से वर्ष—1972 में हाई स्कूल की फर्जी मार्कशीट बनवायी गयी थी। जिसके आधार पर वह प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गया था और लगभग 37 वर्षो तक निरन्तर नौकरी करता रहा। सेवानिवृत्ति के दिन जब उसके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराकर बर्खास्त कर दिया गया तो वह फरार हो गया और अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए वह न तो मोबाइल फोन इस्तेमाल करता था और नही अपने किसी परिचत या रिस्तेदारों से किसी माध्यम से बात करता था, न ही किसी के यहॉ मिलने—जुलने जाता था।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना फरधान, लखीमपुर खीरी के मु0अ0सं0 258/2020 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि के अभियोग में दाखिल किया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

————